हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.59/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

11.7.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) भंवर लाल पुत्र बाबूजी घांची, जाति– घांची, निवासी– सोनातर गली, लोकवाडा, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) विष्णु कुमार पुत्र श्री जवानमल जी, निवासी– 80 घांचियों का वास, सुमेरपुर तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, एस बी आई, एटीएम के सामने, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3/1 (कृष्ण अग्रवाल पुत्र श्री सोमनाथ अग्रवाल, निवासी– अमर सिंह पुरा, लोगोवाला हाउस, हाउस नं. 9, 10, बीकानेर, जिला– बीकानेर) एवं प्रतिवादी संख्या 3/2 (सरस्वती देवी पुत्री सोहनलाल बंसल, मकान नं. 9, 10 लोंगोवाला हाउस, अमरसिंह पुरा, बीकानेर, जिला– बीकानेर) भागीदार एवं खाद्य कारोबारकर्ता, निर्माता फर्म नवदुर्गा, रोलर फलोर मिल, जी–249, II फेज, करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, जिला–बीकानेर अनुपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.2020 को फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवांडा रोड, रोहिडा, तह. पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल पुत्र बाबुजी घांची, जाति– घांची, निवासी– सोनातर गली, लोकवाडा, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1314 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1029/Act/2020/04 दिनांक 01.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः भंवरलाल व विष्णु कुमार को नोटिस की तामिल होने पर नियत सुनवाई तिथि 25.1.2022 को उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 क्रमशः कृष्ण अग्रवाल व सरस्वती देवी को नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 उपस्थित नही हुए एवं न ही प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.12.2020 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थों के

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.59/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

निरीक्षण हेतु फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र बाबूजी घांची, जाति– घांची, निवासी– सोनातर गली, लोकवाडा, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी भंवरलाल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) के 45 किलोग्राम के एक पैक्ड बैग को खोलकर उस बैग में मौजूद सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये हुए खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 56/– (अक्षरे रुपये छप्पन मात्र) प्रतिवादी भंवरलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक जार दिखये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1314, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) को चारों जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1314 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील [illegible] की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ [illegible] VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों [illegible] कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा [illegible] नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर

.......लगातार

प्रति. जिला [illegible]
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.59/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 0.5.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता भंवरलाल से खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ सूची (शिव शक्ति ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1314 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1029/Act/2020/04 दिनांक 01.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भंवरलाल की फर्म सोनातर किराणा स्टोर, रोहिडा द्वारा खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) के 45 किलोग्राम के पैक्ड बैग को सप्लायर फर्म विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, एस बी आई एटीएम के सामने, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली से पैक्ड अवस्था में जरिये बिल क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी विष्णु कुमार की फर्म है। प्रतिवादी विष्णु कुमार की फर्म विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) के 45 किलोग्राम के पैक्ड बैग को पैक्ड अवस्था में फर्म नवदुर्गा रोलर फलोर मिल, जी–249, द्वितीय फेज, करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर से जरिये बिल क्रय किये गये थे, जो खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है एवं इसके भागीदार प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) [illegible] अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक [illegible] द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] धारा– 52 के तहत मिथ्या[illegible] सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) के विक्रय हेतु [illegible] पुत्र बाबूजी घांची, जाति– घांची, निवासी– सोनातर गली, लोकव[illegible] रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रां. जिला [illegible]
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.59/2021	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सोनातर किराणा स्टोर, लोकवाडा रोड, रोहिडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का एवं प्रतिवादी विष्णु कुमार पुत्र श्री जवानमल जी, निवासी– 80 घांचियों का वास, सुमेरपुर तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, एस बी आई, एटीएम के सामने, मेन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ सूजी (शिव शक्ति ब्राण्ड) के पैकिंग, निर्माण व विक्रय हेतु निर्माता फर्म नवदुर्गा, रोलर फलोर मिल, जी–249, II फेज, करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, जिला–बीकानेर पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्माता फर्म नवदुर्गा, रोलर फलोर मिल, जी–249, II फेज, करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर, जिला–बीकानेर पर आरोपित जुर्माना राशि का डी.डी. इस न्यायालय में जमा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 (क्रमशः कृष्ण अग्रवाल व सरस्वती देवी) उत्तरदायी होगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.8.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested